न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
76 / 18	09.08.2018	13-11-2018

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (R.A.S.)

उनवान

बजरंग लाल पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी ढाबा तहसील दीगोद हाल धाकड खेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में ख0नं0 7 रकबा 1.86 हे0, ख0नं0 503 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 503/1089 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.96 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वादी व अन्य सहखातेदार उसके भाई हजारीलाल के शामलाती खातें में हिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बजरंगा दर्ज किया हुआ है, जो गलत है जबकि वादी का नाम बजरंगलाल है। उक्त कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप से बजरंगा अंकित होनें के कारण वादी अपनें खातें की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में वादी ने पूर्व में बैंक में ऋण प्राप्त करनें हेतु आवेदन किया था किन्तु बैंक अधिकारी ने वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड व वोटर आईडी व आधार कार्ड में बजरंगलाल दर्ज होनें से वादी को ऋण उपलब्ध नहीं हो सका। इस कारण वादी का नाम बजरंगा के स्थान पर बजरंग लाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 13.07.2018 को निवेदन करनें पर उनके द्वारा पटवारी रिपोर्ट के पश्चात् आज तक कार्यवाही नहीं की और अदालत में कार्यवाही करनें को कहा गया। जिस कारण यह वाद पत्र वादी के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम गलत दर्ज करनें पर, बैंक द्वारा ऋण देनें से मना करनें पर तथा दिनांक 13.07.2018 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त नहीं करनें पर व दुरूस्त करनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

पेश कर वादी ने प्रार्थना की है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम ढाबा तहसील दीगोद में ख0नं0 7 रकबा 1.86 हे0, ख0नं0 503 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 503/1089 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.96 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बजरंगा के स्थान पर बजरंग लाल दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम ढाबा संवत् 2071–74 खाता नं0 233
2. प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2018 वास्ते नाम दुरूस्ती मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.07.2018
3. शपथ पत्र बजरंगलाल पुत्र रामनाथ आयु 73 वर्ष जाति माली निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. प्रमाण–पत्र ग्राम पचांयत भौंरा दिनांक 13.11.2018
5. छायाप्रति आधार कार्ड बजरंग लाल पुत्र रामनाथ
6. छायाप्रति पेन कार्ड बजरंग लाल पुत्र रामनाथ
7. शपथ पत्र रामचरण पुत्र हजारीलाल आयु 52 वर्ष जाति माली निवासी ढाबा तहसील दीगोद जिला कोटा

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब शामिल मिसल किया गया, जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी अस्वीकार कर विशेष कथन किये कि ग्राम ढाबा के ख0नं0 7 रकबा 1.86 हे0, ख0नं0 503 रकबा 0.09 हे0 एवं ख0नं0 503/1089 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.96 हे0 भूमि स्थित है, जिसमें वादी सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है वादी का नाम खाता सं0 नया 233 पुराना 217 में बजरंगा पि0 रामनाथ जाति माली दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दस्तावेजो में बजरंगलाल पुत्र रामनाथ माली दर्ज है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 16.07.2018 मुताबिक बजरंगा के स्थान पर बजरंगलाल करनें हेतु रिपोर्ट संलग्न है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं स्वयं वादी का शपथ पत्र नोटरी मजि0 द्वारा प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार वादी का नाम बजरंगा के स्थान पर बजरंगलाल उर्फ बजरंगा किया जाना प्रस्तावित है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसंर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन

...कन किया। वादी ने वादगत भूमि वाके ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 7 रकबा ...6 हे0, ख0नं0 503 रकबा 0.09 हे0 एवं ख0नं0 503/1089 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.96 हे0 भूमि में अपना नाम बजरंगा के स्थान पर बजरंग लाल दर्ज किये जानें की रिलीफ चाही है। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति पेन कार्ड में वादी का नाम बजरंग लाल पुत्र रामनाथ अंकित है। ग्राम पंचायत ढाबा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.11.2018 में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है कि बजरंगा व बजरंग लाल एक ही व्यक्ति के नाम है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि बजरंगा एवं बजरंग लाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रकरण में वादी द्वारा सहखातेदार रामचरण पुत्र हजारीलाल का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, उक्त शपथ पत्र में सहखातेदार द्वारा वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बजरंगा के स्थान पर बजरंग लाल दर्ज किये जानें की सहमति प्रकट की है। सहखातेदार को नाम दुरूस्त किये जानें में कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजात्, सहखातेदार की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 7 रकबा 1.86 हे0, ख0नं0 503 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 503/1089 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.96 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादी का नाम बजरंगा पुत्र रामनाथ के स्थान पर बजरंग लाल उर्फ बजरंगा पुत्र रामनाथ जाति माली दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 13 / 11 /2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद